कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/562 /2019–20/9919 रायपुर, दिनांक 4/02/2020

प्रति,

कलेक्टर/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला–.......................... (छ.ग.)

विषय :– **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयो में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन के संबंध में।**

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रति–वर्ष की भांति शिक्षण सत्र 2020–21 में प्रति विद्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो को कक्षा–6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन कर प्रावीण्यता के आधार पर 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अतएव योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में कक्षा–6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजन संबंधी प्रवेश नीति एवं आवेदन पत्र एवं चेक लिस्ट का प्रारूप संलग्न प्रेषित है। विद्यार्थियो के प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे :–

1. चयन परीक्षा **दिनाक 29.03.2020 दिन रविवार को प्रातः 10:30 से 12:30 तक** आयोजित किया जाये ।
2. परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण पर्याप्त समय पूर्व पर किया जाकर विद्यार्थियों एवं शालाओं तक जानकारी पहुंचाया जाए।
3. प्रवेश पत्र समय पर जारी कर शालाओं/अभिभावकों तक पहुंचाया जाए ।
4. प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्देश शाला स्तर तक पहुंचाते हुए समाचार पत्रों एवं व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। मैदानी क्षेत्र के कर्मचारी यथा मंडल संयोजक, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सी.ए.सी., सी.आर.सी आदि के माध्यम से जानकारी शालाओं तक पहुंचाया जाए एवं अभिभावको को इस संबंध में जागरूक किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभावान बच्चे इस योजना का लाभ ले सकें।
5. परीक्षा केन्द्रो पर केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करते हुए सभी कर्मचारियों को इस परीक्षा योजना के बारे में प्रशिक्षित किया जाए।
6. परीक्षा केन्द्रो पर केन्द्राध्यक्ष एक शिक्षक तथा एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा चालू होने के 20 मिनट पूर्व खोला जाकर हस्ताक्षर युक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जाये।
7. बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों में ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षको के हस्ताक्षर कर नाम एवं पद नाम, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जाए।
8. परीक्षा आयोजन संबंधी समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जाये फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से रोका जाये। इसमें किसी प्रकार की गड़गड़ी होने पर संबंधितो की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासन की कार्यवाही किया जावे।
9. उत्तर पुस्तिकों का मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षकों के अलावा अन्य शिक्षको को लगाया जाये एवं उत्तर पुस्किाओ का जांच निश्पक्षता पूर्वक कराया जाए ।
10. चेक लिस्ट में दिये गये दिनांकवार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र 2020–21 हेतु नियमित कक्षाएं शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए ।

निरन्तर ....

11. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन एवं नियंत्रण हेतु एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त किया जाए ।

अतः प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। प्रवेश संबंधी कार्यवाही एवं आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/EMRS/562/2019—20/ 9920 **रायपुर, दिनांक** 6/02/**2020**
प्रतिलिपि :—

1. **सचिव,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव,** जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला—.............................. (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करे।
3. **प्राचार्य/उपप्राचार्य** , एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय...................................... जिला....................... छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(मुकेश कुमार बंसल)
आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा संबंधी चेक लिस्ट
वर्ष 2020–21

क्र	विवरण	दिनांक	दिन
1	छात्र / छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की अन्तिम तिथि।	04.03.2020	बुधवार
2	शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन पत्र का परीक्षण एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय मे जमा करने की तिथि।	12.03.2020	गुरूवार
3	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग.द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या जिलेवार, विकास–खण्डवार (Mail / Fax) भेजने की तिथिं	13.03.2020	शुक्रवार
4	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग. द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों / वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थियों तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करना।	19.03.2020	गुरूवार
5	राज्य मुख्यालय से सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण की तिथि। (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जाए)	26.03.2020	गुरूवार
6	जिला स्तर / विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन की निर्धारित तिथि।	29.03.2020	रविवार
7	जिला मुख्यालय पर प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा जिला–स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशन तथा जिला के वेबसाईड में अपलोड़ कराना।	31.03.2020	मंगलवार
8	दावा आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	04.04.2020	शनिवार
9	जिला स्तर पर अंतिम चयन सूची जारी किया जाना एवं सर्वसंबंधितों को प्रवेश हेतु सूचित किया जाना एवं समाचार पत्रो में सूचना प्रकाशित किया जाना।	07.04.2020	मंगलवार
10	आयोजित प्रवेश परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तथा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकनकर्त्ता शिक्षकों के नाम तथा विद्यार्थियों की अंतिम मेरिट सूची आयुक्त कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि।	08.04.2020	बुधवार
11	विद्यालय में विद्यार्थियो का प्रवेश प्रारंभ	08.04.2020 से 15.04.2020	

टीपः– शासन के निर्देशानुसार शिक्षण सत्र् अप्रैल 2020–21 प्रारंभ किया जावें।

(मुकेश कुमार बंसल)
आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

D:\data0/kushwaha-Eklavya/PRAVESH NITI 2017-18

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु

प्रवेश नीति वर्ष 2020–21

(1) परिचय :–

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत, भारत सरकार,जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से प्रदेश में 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में छ. ग. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर से सम्बद्ध उक्त आवासीय विद्यालयों में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं तक हिन्दी माध्यम से निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है। शिक्षण सत्र 2018–19 से चयनित विद्यार्थियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,(CBSE)नई दिल्ली, पाठ्यक्रम अंतर्गत हिन्दी माध्यम में अध्यापन कराया जा रहा है। इन विद्यालयों मे प्रवेश हेतु एक चयन परीक्षा का आयोजन कर मैरिट सूची तैयार की जाती हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाता है।

(2) योजना के उद्देश्य :–

1. अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करना उनका संचालन करना तथा इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु समस्त अनुषांगिक कार्य करना।
2. इन संस्थाओं में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियाँ को बढ़ावा देना।
3. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना ।
4. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

(3).विद्यालयवार स्वीकृत सीट्स :–

निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में 60 सीट के मान से विद्यार्थियों को चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित कराया जाना है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संस्था एवं जिले का नाम	कक्षा 6 वीं हेतु स्वीकृत सीट्स		
		बालक	बालिका	योग
1.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, करपावण्ड,जिला–बस्तर	60	–	60
2.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अंतागढ़,जिला– कांकेर	60	–	60
3.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मैनपाट,जिला–सरगुजा	60	–	60
4.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवप्रसाद नगर ,जिला–सूरजपुर	60	–	60
5.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मुढ़पार ,जिला–रायगढ़	60	–	60
6.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तरेगांव जंगल ,जिला–कबीरधाम	60	–	60
7.	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कटेकल्याण, जिला–दंतेवाड़ा	–	60	60
8.	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सन्ना ,जिला–जशपुर	–	60	60
9.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,, पेण्ड्री ,जिला–राजनांदगांव	30	30	60
10.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,, पोड़ीडीह ,जिला–कोरिया	30	30	60
11.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़ ,जिला–बीजापुर	30	30	60
12.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला ,जिला–कोरबा	30	30	60
13.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बेसोली ,जिला–बस्तर	30	30	60
14.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नारायणपुर ,जिला–नारायणपुर	30	30	60
15.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मर्दापाल ,जिला–कोंडागांव	30	30	60
16.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मारवाही, जिला– बिलासपुर	30	30	60

17.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरियाबंद ,जिला–गरियाबंद	30	30	60
18.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नगरी ,जिला–धमतरी	30	30	60
19.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बलरामपुर ,जिला–बलरामपुर	30	30	60
20.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुकमा ,जिला–सुकमा	30	30	60
21.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डौंडीलोहारा ,जिला–बालोद	30	30	60
22.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कसडोल, जिला–बलोदाबाजार	30	30	60
23.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला–महासमुद	30	30	60
24.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला–मुंगेली	30	30	60
25.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला–जांजगीर–चांपा	30	30	60
26.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेण्ड्रा, जिला– बिलासपुर	30	30	60
27.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पाली, जिला–कोरबा	30	30	60
28.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धर्मजयगढ़, जिला– रायगढ़	30	30	60
29.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रतापपुर, जिला– सूरजपुर	30	30	60
30.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ओड़गी, जिला– सूरजपुर	30	30	60
31.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर	30	30	60
32.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सामरी (कुसमी) जिला– बलरामपुर	30	30	60
33.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, उदयपुर, जिला– सरगुजा	30	30	60
34.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सोनहत, जिला– कोरिया	30	30	60
35.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मानपुर, जिला– राजनांदगांव	30	30	60
36.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तोकापाल, जिला– बस्तर	30	30	60
37.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कांकेर, जिला– कांकेर	30	30	60
38.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बीजापुर, जिला– बीजापुर	30	30	60
39.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोन्टा, जिला– सुकमा	30	30	60
40.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, दन्तेवाड़ा, जिला– दन्तेवाड़ा	30	30	60
41.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जशपुर, जिला– जशपुर	30	30	60
42.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छोटेडोंगर, जिला– नारायणपुर	30	30	60
	योग	**1380**	**1140**	**2520**

(4) सीटो का आरक्षण :–

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये है। विद्यालय में प्रवेशित सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा:–

1. अनुसूचित जनजाति के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार, अबूझमाडियां, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, पण्डो तथा भुंजिया) के विद्यार्थियों को प्राथमिता दी जायेगी ।
2. अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियो हेतु 5% आरक्षण होगा। इसके लिये जिले मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. एकलव्य विद्यालय में कार्यरत अमले के कर्मचारियो को अधिकतम 02 बच्चों को डे–स्कालर के रूप में विद्यालय में अध्यापन की सुविधा प्रदान की जायेगी।
4. एकलव्य विद्यालय में गैर आदिवासी विद्यार्थियो हेतु कक्षा–6वीं में स्वीकृत सीट का 5% (03 सीट) स्थानीय समुदाय के बच्चो के लिए आरक्षित होगा, (जो विद्यालय के निर्माण में भूमिदान एवं अन्य विकास कार्य में सहयोग करने वाले परिवार के बच्चों को प्राथमिकता दी जावेगी।) नक्सल हिंसा में पालक/अभिभावक खोने वाले बच्चों को अधिकतम 02 सीटों में प्रवेश दिया जावेगा। जिनका चयन का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।
5. शेष सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों से भरा जायेगा।

कंडिका– 1,2,3 एवं 4 में से छात्र–छात्राऐ न मिलने पर सीटो की पूर्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से की जावेगी।

(5) पात्रता :–

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. विद्यार्थी की आयु 01 जुलाई 2020 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो।
2. शिक्षण सत्र 2019–20 में आयोजित कक्षा 5वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो अथवा पूर्व वर्ष में कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. प्रवेश हेतु कक्षा 5 वीं में 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए ।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(6) आवेदन पत्र :–

चयन परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निम्न स्थानों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :–

1. कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छ.ग.।
2. संबंधित कार्यालय प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छ.ग.।
3. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट–www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

यदि किसी कारणवश आवेदन पत्र की मूलप्रति उपलब्ध नहीं हो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन (आवेदन पत्र) को टंकित कराकर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(7) आवेदन पत्र को जमा करना :–

आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर निर्धारित तिथि में संबंधित जिलों के कार्यालय ,सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में **दिनांक 04.03.2020** तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(8) प्रवेश पत्र :–

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये आवेदकों को चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भेजा जावेगा। चयन परीक्षा की तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षा के पूर्व आवेदक आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्रस्तुत कर परीक्षा केन्द्रों से प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकेंगे।

(9) चयन परीक्षा के संबंध में

(i) चयन परीक्षा का दिनांक 29.03.2020 दिन–रविवार को प्रातः 10:30 से अपरान्ह .12:30 बजे तक।

(ii) परीक्षा केन्द्र :–

प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन जिन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, वहां के जिला मुख्यालयों में किया जायेगा। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केन्द्र में संशोधन करने का आवेदन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा। बिना प्रवेश पत्र के कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं संस्था के प्राचार्य के होंगे। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र, आधार कार्ड या परिचय पत्र लाना आवश्यक होगा।

(iii) परीक्षा का माध्यम :–

चयन परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा।

(iv) प्रश्न पत्र का निर्माण :–

चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण विभागीय विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा किया जायेगा।

(v) **प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र की संरचना :–**

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा प्रश्न पत्र कुल 04 खण्डों में होगा। प्रत्येक खण्ड में से **25–25 वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रश्न 100 अंको के होंगे प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक होगें:–**

खण्ड	विषय का विवरण	प्रश्नों की संख्या	अंक
अ	गणित	25	25
ब	अंग्रेजी	25	25
स	हिन्दी	25	25
द	पर्यावरण	25	25
	योग	**100**	**100**

(vi) **उत्तर पुस्तिका :–**

1. प्रश्न पत्र में ही निर्धारित स्थान पर उत्तर अंकित किये जा सकेंगे। उत्तर देने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।
2. उत्तर अंकित करने हेतु बाल पेन का उपयोग किया जा सकेगा, पेन्सिल का उपयोग वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र में पेन परीक्षार्थी स्वयं लेकर आयेंगे।
3. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रकार का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। सही विकल्प के उत्तर को निर्धारित स्थान पर लिखना होगा तथा सही उत्तर पर (O) का निशान लगाना होगा। अन्य निशान मान्य नहीं किया जायेगा।
4. एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात् उत्तर बदलने के लिए पहले उत्तर में (☒) का चिन्ह अंकित करने के बाद सही उत्तर में (O) का निशान लगाना होगा।
5. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन प्रणाली नहीं होगी।

(vii) **उदाहरण :–**

1. 56 तथा 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

प्रथम विचार

1. 4   2. 20

3. ⑧   4. 14

उपरोक्त उदाहरण में सरल क्रमांक–3 का उत्तर मान्य किया जायेगा।

2. छत्तीसगढ़ की राजधानी .... है (रिक्त स्थान की पूर्ति करें)

1. रायपुर   2. बिलासपुर

3. बस्तर   4. सरगुजा

(viii) **उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन :–**

चयन परीक्षा के परिणाम दिनांक 31.3.2020 तक घोषित कर दिया जायेगा परीक्षा परिणाम का प्रदर्शन जिला कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संबंधित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में किया जावेगा।

(10.) **चयन एवं प्रवेश :–**

1. चयन परीक्षा के आयोजन हेतु जिला स्तर पर समिति तथा प्रवेश हेतु शाला स्तर पर प्रवेश समिति का गठन किया जाए।
2. चयनित आवेदकों को प्रवेश के समय समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों तथा कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंकसूची की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति का मान्य किया जायेगा।
4. चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा। चयन परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नगणना का कोई प्रावधान नहीं होगा।
5. चयन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को केवल उन्हीं संस्थाओं में प्रवेश दिया जायेगा, जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है।
6. प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयन परीक्षा में चयनित एवं असफल उम्मीदवारों के अंक गोपनीय रखे जायेंगे।
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राएं यदि किसी वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
9. परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को 15 दिवस के भीतर संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

1105/1

10. **प्रवेश के समय निम्नानुसार दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :–**
- क. कक्षा पांचवी की अंकसूची।
- ख. शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- ग. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- घ. अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
- ड. आधार कार्ड का छायाप्रति।
- च. जिला चिकित्सालय बोर्ड का स्वास्थ प्रमाण पत्र प्रवेश के 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना।

(उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रति लाना अनिवार्य होगा).........

(11) छात्रावास सुविधा :–

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय शिक्षा संस्था है। विद्यालय में प्रवेशित छात्र–छात्राओं को छात्रावास में निःशुल्क आवास एवं शिष्यवृत्ति की राशि में से भोजन की व्यवस्था की जावेगी।

(12). शिष्यवृत्ति एवं अन्य सुविधा :–

क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर
1	शिष्यवृत्ति	–	12000/– वार्षिक
2	पोषण आहार	–	3000 /– वार्षिक
3	शाला गणवेश	2	1500 (2 सेट)
4	स्कूल बैग	1	500 रू.
5	टी शर्ट, शार्ट्स एवं ब्लेजर	01	300–300–1000
6	पी.टी.शूज /जूता	02	700 रू.
7	मोजा	02	150 रू.
8	अंडर वियर	02	150 रू.
9	बनियान	02	150 रू.
10	टॉवेल	02	200 रू.
11	टाई एवं बेल्ट	01	200 रू.
12	टूथब्रश पेस्ट, नारियल तेल एवं साबुन (नहाने/कपड़ा धोने)	–	1000 रू. वार्षिक
13	स्वच्छता प्रसाधन हेतु (सेनेटरी नेपकिन)	–	750 रू.
14	पाठ्य पुस्तक /कापियां एवं लेखन सामग्री	–	हाईस्कूल स्तर तक 3000 रू. प्रति विद्यार्थी हायर सेकेण्ड्री स्तर पर प्रतिवर्ष 5000 रू. प्रति विद्यार्थी (औसत 4000/–)
15	यात्रा व्यय (घर से स्कूल आने जाने)	–	400 रू. प्रतिवर्ष
16	यात्रा व्यय (विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता)	–	200 रू.
17	चिकित्सा व्यय	–	250 रू. प्रतिवर्ष
	योग		**26750.00 रूपये**

विद्यालय में कम्प्यूटर/विज्ञान लैब एवं पुस्तकालय के साथ–साथ प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र–छात्राओं हेतु क्रीड़ा सामग्री एवं प्रशिक्षित व्यायाम अनुदेशकों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जावेगी।

(मुकेश कुमार बंसल)
आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

D:\data0/kushwaha-Eklavya/PRAVESH NITI 2017-18

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा वर्ष 2020–21

आवेदन–पत्र

परीक्षा का दिनांक 29/03/2020

पासपोर्ट आकार का नवीन फोटो चिपकाये जो उस विद्यालय(जहाँ वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा है/रहीहै) केप्रधानाचार्य से सत्यापित हो

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)
रोल नंबर :–

परीक्षा केन्द्र का नाम : ....

जिले का नाम : ....परीक्षा का माध्यम ....

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ....
   अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में) : ....
3. पिता का नाम : ....
4. माता का नाम : ....
5. छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अ.ज.जा का नाम : ....
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पालक का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)
6. आवेदक विशेष पिछड़ी जनजाति यथ (कमार, अबुझमाड़ियां, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, पण्डो तथा भुंजिया) वर्ग में आता हो तो उस वर्ग का नाम एवं प्रमाण पत्र :..
7. पत्र व्यवहार का पता : ....
8. क्या विद्यार्थी विकलांग है ? : हां / नही
   (यदि हां तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
9. क्या विद्यार्थी के पालक एकलव्य विद्यालय के कर्मचारी है? : हां/नही (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. विद्यार्थी के पालक एकलव्य विद्यालय के लिए भूमि/भवन निर्माण में योगदान दिया है : हां/नही (सरपंच का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. पालक का मोबाइल नंबर :

12. जन्म तिथि (अंकों में) :

तिथि		माह		वर्ष			

13. जन्म तिथि (शब्दो में) : ....
14. दिनांक 01.07.2020 को आयु (10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच हो) वर्ष .... माह .... दिन ....
15. उचित बॉक्स में सही (✓)का निशान लगायें
    (अ) लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐
16. कक्षा चौथी का प्राप्तांक : कुल पूर्णाक ....कुल प्राप्तांक............. प्रतिशत .... ग्रेड ....
17. कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण हो तो कुल पूर्णाक ....कुल प्राप्तांक............ प्रतिशत .... ग्रेड ....
18. विद्यार्थी का आधार कार्ड (वैकल्पिक है) का कमांक..

आवेदक का हस्ताक्षर दिनांक सहित

शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी श्री/कु. .... पिता श्री.............................. ग्राम.. वि.खं.. जिला ....(छ.ग.) विद्यालय .... में कक्षा ....अध्ययनरत है । विद्यार्थी द्वारा द्वारा आवेदन में दिये गये विवरण अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है, विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखता है ।

संस्था प्रमूख का हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा वर्ष 2020–21
आवेदन पत्र की पावती

श्री / कुमारी .... पुत्र / पुत्री श्री ....का

आवेदन पत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय .... जिला .... ,

(छत्तीसगढ़) मे प्रवेश परीक्षा वर्ष 2020–21 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

नोट : 1. यदि प्रवेश पत्र नही मिल पाता है तो इस पावती के आधार पर विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते है ।

2. परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी दो नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परिचय पत्र यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानपाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि लावे जिससे परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति जारी किया जा सके।

3. परीक्षा दिनांक 29.03.2020 को प्रातः 10:30 से 12:30 तक है अतः परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे।

आवेदन प्राप्तकर्ता अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित